Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, NOV-DEC, 2021, VOL- 9/68

पंचायत चुनाव 2021 में ग्रामीण मतदान व्यवहार

राजकुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर – राजनीति शास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद, आगरा

Paper Received On: 21 DEC 2021
Peer Reviewed On: 31 DEC 2021
Published On: 1 JAN 2022

Abstract

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य में बदलाव तो आया है पर इतना भी नहीं कि ग्रामीण समाज का परम्परात्मक ढांचा बदल गया हो। जमीदारी व्यवस्था समाप्त हुई है। जमीदार अब परिदृश्य से बाहर हो गये हैं। जमीन अब उच्च जातियों से मध्यम जातियों को बेची जा रही है किन्तु यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। जिसके चलते उच्च जातियों का गाँवों में आर्थिक प्रभुत्व अभी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उच्च जातियों के लोगों ने अन्य क्षेत्रों में निवेश कर अपनी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ कर ली है। जजमानी व्यवस्था कमजोर हुई है। सेवक जातियाँ परम्परात्मक शर्तों पर सेवा करने से स्वतंत्र अवश्य हुई है जिससे उनकी परम्परात्मक स्थिति में कुछ सुधार भी आया है किन्तु अन्य जातियों की तुलना में उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। संशोधित पंचायतीराज व्यवस्था के लागू होने के साथ महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विभिन्न स्तर पर पंचायतों व स्थानीय निकायों में बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है और ग्रामीण राजनीति एवं विकास में उनकी साझेदारी भी बढ़ी है। फिर भी, ग्रामीण समाज में उच्च जातियों का दबदबा अभी भी बना हुआ है। कुल मिलाकर गांव का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य बदला तो है फिर भी ग्रामीण संरचना व शक्ति सन्तुलन में उच्च, मध्यम व निम्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

पारिभाषिक शब्दः *मतदान–आचरण, ग्रामीण राजनीति, राजनैतिक हवा, राजनैतिक प्रभाविता।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध–पद्धतिशास्त्र (अध्ययन का क्षेत्र, न्यादर्श, पद्धति तथा प्रविधियाँ) :

अध्ययन का समग्र :

अध्ययन का क्षेत्र/समग्र शोध सुविधार्थ उ.प्र. के आगरा मण्डल का मथुरा जिला चुना गया है क्योंकि शोधार्थी यहीं का निवासी है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

न्यादर्श तथा न्यादर्शों का चयन :

अनुसंधित्सु ने जिले में हुए विगत नवीन पंचायतीराज चुनाव में पंचायत के तीनों स्तरों में से ग्राम पंचायत स्तरों पर निर्वाचित कुल 300 महिलाओं (जिनमें ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायतों की सदस्याएं सम्मिलित हैं) का चयन, दैव निदर्शन द्वारा किया है।

अध्ययन की पद्धति एवं प्रविधियाँ :

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रमुख पद्धति के रूप में ''साक्षात्कार अनुसूची'' प्रकरणतः निर्मित करके सूचनादाताओं से आमने–सामने की स्थिति में 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' सम्पन्न करते हुए 'अवलोकन' प्रविधि से प्राथमिक तथ्य संकलित गए हैं। तथा न्यादर्शों की मनोवृत्तियाँ जानने के लिए मनोवृत्ति मापकों यथा– लिकर्ट एवं थर्सटन को अपनाया गया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों, सचिवों तथा समाचार–पत्र, पत्रिकाओं द्वारा करके तत्पश्चात् मास्टरशीट का निर्माण कर प्राथमिक तथा द्वैतीयक आँकड़ों से सांख्यकीय गणनाएं करके तथ्यपरक निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन ''एक सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन'' (Micro Empirical Study) है। शोध अध्ययन की प्रकृति 'वर्णनात्मक' है।

मतदान आचरण/व्यवहार :

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मतदाताओं का मतदान–आचरण (व्यवहार) एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह सभी जानते हैं कि मतदाता के रूप में देश के सभी नागरिक समान होते हैं। मतदान के समय भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग करने का अधिकर होता है। लेकिन सैद्धान्तिक रूप से नागरिकों के मध्य जो समानता एवं स्वतंत्रता हमें दिखाई देती है; व्यवहारिक धरातल पर वह वैसी होती नहीं है। इसका कारण यह है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है। इस जटिल व्यवस्था में किसी भी समाज में कोई भी दो प्राणी परम समान **(Absolutely equal)** नहीं पाये जाते हैं। उनके जीवन स्तर, जीवन मूल्य, विश्वास, कार्य प्रणाली एवं आदतों में व्यापक अन्तर देखने को मिलते हैं। यह अन्तर उनकी अनुवाँशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, वैयक्तिक तथा वर्गीय स्वार्थों आदि अनेक कारकों के कारण होता है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ये सभी कारक व्यक्ति के चिन्तन व सोच को प्रभावित करते हैं; एवं ऐसा सोच ही समूचे मानव व्यवहार की मूल होती है। चाहे मतदान आचरण हो या किसी अन्य राजनीतिक पक्ष से सम्बन्धित कोई सामाजिक क्रिया; इसमें वैयक्तिक सोच की प्रभाव भिन्नता अवश्य ही अपना प्रभाव दर्शाती है। मतदान आचरण; राजनीतिक संस्कृति के अन्तर्गत विविधतायुक्त होता है। राजनीतिक संस्कृति; सामाजिक संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति एवं समाज हेतु अपना अस्तित्व रखती है। ''पाठक (2012) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिक संस्कृति का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है; ऐसी दशा में राजनीतिक संस्कृति में भौतिक संसाधनों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। यह बढ़ता प्रभाव मतदान व्यवहार में भी अपना प्रभाव दर्शाता है।धन के बल के प्रभाव पर मतदाता अपने अभिमत तक को परिवर्तित कर लेते हैं तथा मतदान की प्रक्रिया में मतदान स्थल तक वाहनों द्वारा मतदाताओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करना भी, मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। राजनरायन (2012:320) के अनुसार अशिक्षित मतदाता; मतदान के लिए अपने घर या गाँव के प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर भी मतदान कर देते हैं। जबकि शिक्षित लोग प्रत्याशी, राजनीतिक दल की नीतियों तथा चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर मतदान करने का निर्णय लेते हैं; तो कुछ लोग चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को देखकर भी मतदान करते हैं; तो कुछ जीत हार की संभावनाओं को लेकर, तो कुछ मतदाता जातिगत आधार पर। इन सभी तथ्यों के साथ मतदान व्यवहार में हिंसा का पक्ष भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है।''

अनुसंधित्सु ने समस्त सूचनादाताओं से पृथक-पृथक तौर पर सर्वेक्षण करते समय यह भी पूछा कि- ''आपका मत/वोट निश्चित रूप से डल जाय; इसके लिए आप क्या करते हैं?'' सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका नं. 1 संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. 1 सूचनादाताओं के अनुसार उक्त प्रश्न का प्रत्युत्तर

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
1.	निर्धारित समय से पूर्व ही वे वोट डालने पहुंचे	180	60.00
2.	प्रयास किया कि शान्तिपूर्वक उनका वोट डल जाय 90	30.00	
3.	उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया	30	10.00
	समस्त योग	300	100.00

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कुल 300 निदर्शित सूचनादाताओं में से 180(60 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि ''उनका वोट निश्चित रूप से डल जाय'', इसके लिए वे मतदान वाले दिन; निर्धारित समय से पूर्व मतदेय स्थल पर वोट डालने पहुंचे; इन सूचनादाताओं ने बिना संकोच किए यह भी बताया कि विगत 1–2 चुनावों से पूर्व वे ऐसा नहीं करते थे तथा कभी–कभी तो वोट डालने भी नहीं जाते थे; या फिर काम धन्धा करके देर से वोट डालने जाते थे; अन्यथा की स्थिति में वे पहले कभी–कभी ''बिना वोट डाले ही'' बैरंग वापिस लौट आते थे। अर्थात् वे अपने वोट का महत्व ही नहीं समझते थे। इन प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि– ''अनुसूचित जातियों के मतदाताओं के मतदान प्रक्रिया तथा मतदान व्यवहार के प्रति उनके सोच परिवर्तित हुए हैं।'' यहाँ तक कि राजनीति के सन्दर्भो में आज उनकी सम्पूर्ण मानसिकता ही बदल गयी है।

तालिका नं. 2 उ0प्र0 पंचायत चुनाव 2021 में उम्मीदवार की तरफ से वोट डालने के लिए भेजी जाने वाली सवारी का उपयोग

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
1.	सवारी लेने आयी लेकिन उसमें वे नहीं गए/ उन्होंने सवारी का उपयोग नहीं किया	99	33.00
2.	कभी कोई सवारी मतदान के दिन लेने नहीं आयी	27	09.00
3.	उन्हें सवारी लेने आयी, जिसका उन्होंने उपयोग भी किया; लेकिन वोट उसे नहीं दिया	174	58.00
	समस्त योग	300	100.00

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका नं. 2 में प्रदर्शित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों के मतदाता अब जागरूक हो गए हैं। इस तथ्य के आलोक में यह सुस्पष्ट है कि मतदान प्रक्रिया तथा मतदान व्यवहार के प्रसंगों में अनुसूचित जातियों के सोच तेजी के साथ परिवर्तित हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि– ''क्या आप मतदान करने में किसी दल/प्रत्याशी के दबाव में आकर भी वोट दे देते हैं?'' सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका 3 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 3''मतदान करने में क्या आपने किसी के दबाव में आकर भी वोट किया?''

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
1.	''हाँ''	276	92.00
2.	''नहीं''	--	00.00
3.	उदासीन	24	08.00
4.	अनुत्तरित	--	00.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका के प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल 300 निदर्शित सूचनादाताओं में से 276(92 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने निःसंकोच यह स्वीकार किया है कि वे किसी दल या प्रत्याशी के दबाव में आकर मतदान नहीं किया। मात्र 24(8 प्रतिशत) सूचनादाता इस प्रश्न के उत्तरों पर तटस्थ रहे हैं। कोई भी उत्तरदाता अनुत्तरित तथा नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाला नहीं पाया गया है। इस प्रकार इन प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट है कि–

(1) अनुसूचित जातियों के मतदाता स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मतदान करते हैं।

(2) अनुसूचित जातियों के मतदाता, मतदान करने में किसी दल/प्रत्याशी के दबाव अथवा लालच में आकर अब मतदान नहीं करते। वे मतदान करने में स्वविवेक का इस्तेमाल कर मतदान करते हैं। निःसन्देह, अनुसूचित जातियों के मतदाताओं के मतदान करने के सम्बन्ध में परिवर्ती सोच; प्रगतिशील विचारों के द्योतक हैं।

(3) आजकल राजनीति सम्बन्धी निर्णय लेने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के मतदाता सामाजिक–राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हो

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

गए हैं कि सहज उनकी मानसिकता अन्य कोई जान नहीं सकता। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ''अधिकांशतः व्यक्ति 'मत सर्वेक्षण' के बारे में विरोध प्रकट करने वाले पाए गए हैं। उनका मानना है कि 'मत सर्वेक्षणों' का मतदाता की मानसिकता पर गहरा तथा प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है; जिससे उसका विचार प्रभावित होता है। अस्तु इस प्रकार के मत सर्वेक्षणों पर रोक लगायी जानी चाहिए ताकि मतदाता बिना प्रभावित हुए निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके/मत का उपयोग कर सके। निःसन्देह तथा निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सम्पूर्ण ''मतदान प्रक्रिया'' तथा ''मतदान व्यवहार'' के बारे में लोगों के दृष्टिकोण (सोच) बदले हैं।

संदर्भ

Lynch O.M. (2009) : The Politics of Untouchability, columbia Univ. Press, Columbia, p.130.
Dahal R.A. (2005) : Modern Political Analysis ; Prentice Hall of India, (Pvt. Ltd.) New Delhi, p.67.
Kothari Rajni (2010) : Caste in Indian Politics ; Orient Longman, Delhi, p.205.
Bhatt A. (2015) : Politics and Voters ; Mc-Graw Hill Book Co. New York p.93.
Basiruddin A. (2009) : The Sense of Effectiveness & Response to Public Issues, The Journal of Social Issues Vol. 47.

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies